(5)

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची।

एस.ए.आर. अपील वाद सं. 107 आर 15/08–09

डोमन मुण्डा वगै॰

बनाम

मधु मुण्डा वगै॰

आदेश

30/05/10 यह अपील वाद श्री डी. किड़ो, वि. वि. पदा., राँची का SAR वाद सं. 339/07–08 में पारित आदेश दिनांक 16.08.08 के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत है–

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
बरियातु	172	181	0.67 ए.

निम्न न्यायालय में मधु मुण्डा, बहादुर मुण्डा दालु मुण्डा वगै॰ के आवेदन पर एस.ए.आर. वाद आरम्भ किया गया था। इनका कहना था कि प्रश्नगत भूमि इनकी खतियानी भूमि है। विपक्षी डोमन मुण्डा एवं जयपाल मुण्डा, पिता एतवा मुण्डा ने भूमि को हड़प लिया है। जबकि विपक्षियों, डोमन मुण्डा वगै॰ (इस वाद के अपीलार्थी) का कहना था कि इस भूमि पर पूर्व में ही इनके पक्ष में निर्णय हो चुका है। अपीलीय न्यायालय ने भी इनके पक्ष में फैसला हुआ है तथा इन्हें दखल देहानी भी प्राप्त हो चुकी है। अतः निम्न न्यायालय का वाद maintainable नहीं है। निम्न न्यायालय ने maintainability के बिन्दु पर प्रतिवादी डोमन मुण्डा का आवेदन खारिज करते हुए उभय पक्ष को गवाही का अवसर प्रदान किया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाथी का दावा है कि ये

खतियानी रैयत के जायज उत्तराधिकारी हैं तथा इनके पक्ष में अपीलीय न्यायालय तक फैसला हो चुका है। यह भूमि बकास्त भूईहरी पहनई दर्ज है तथा अहस्तांतरणिय है। 10 कट्ठे में मोजामील एवं अन्य के आवेदक दखल में था। उनके विरूद्ध एस.ए.आर वाद सं. 846/05–06 दायर किया जिसमें दिनांक 05.07.06 को दखल दहानी आदेश पारित किया गया। इस वाद के विरूद्ध दायर अपील वाद सं. 76 आर 15/06–07 भी मो. मोजमील एवं अन्य हार चुके हैं। वाद सं. 76 आर 15/06–07 में प्रतिवादी मंगरा मुण्डा मैथु मुण्डा, बहादुर मुण्डा, दलु मुण्डा बरतु मुण्डा, महावीर मुण्डा किसोन मुण्डा वो सकला मुण्डा Intervener petition भी दायर किये थे। उक्त वाद में उनका दावा खारिज कर दिया गया। पुनः वर्त्तमान प्रतिवादी द्वारा पक्षकार बनने हेतु आवेदन को 03.08.07 दिनांक 15.11.07 को अपर समाहर्त्ता न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इन्हे दखल देहानी दिलायी जा चुकी है तथा उक्त भूमि पर घर है एवं अतिरिक्त भूमि पर इनके द्वारा फसल की जाती है। इनका दावा है कि जाली कागजात के आधार पर पूर्व मे इनके पक्ष में पारित आदेश को छुपाकर पुनः वाद सं. 339/07–08 दायर की गई है। यह वाद पूर्व न्याय के सिद्धान्त से प्रभावित है तथा वाद Clean hand के साथ दायर नहीं किया गया है। इनका अनुरोध है चूंकि एक ही वाद को बार बार गलत तथ्य के आधार पर नहीं लाया जा सकता है अतः वाद 339/07–08 में पारित आदेश 16.08.08 को खारिज किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर प्रतिवादी का कहना है कि खतियान में यह भूमि कोका मुण्डा के नाम से दर्ज है जिसकी मृत्यु नावल्द हो गई। बड़का बहादुर मुण्डा उनके भाई है जो भूमि पर दखल में आये तथा उक्त भूमि के मालिक हुए। वर्त्तमान प्रतिवादी कुर्सीनामा के अनुसार बड़का बहादुर मुण्डा के वारिशान हैं। इनका कहना है कि एतवा मुण्डा जो अपीलार्थी

(6)

हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं है। इनका यह भी दावा है कि अपीलार्थी के द्वारा ही तथ्यों को छुपाकर गलत तरिके से Stranger के विरूद्ध वाद दायर किया गया एवं जालसाजी कर आदेश प्राप्त कर लिया गया। उक्त वाद में प्रतिवादी पक्षकार नहीं थें। इनके द्वारा खेवट सं. 18/04 एवं 18/5 के आधार पर दावा किया गया है कि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कोई दावा नहीं बनता।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पक्ष में पूर्व में एस.ए.आर. वाद सं. 846/05–06 तथा अपील वाद सं. 76 आर 15/06–07 में फैसला हो चुका है तथा दखल दहानी भी उन्हें प्राप्त हो चुकी है। प्रतिवादी उक्त वाद में पक्षकार नहीं थे तथा ये खतियानी रैयत के निकटतम जायज उत्तराधिकारी के दावा आधार पर निम्न न्यायालय में वाद दायर किया है। इनके द्वारा अपीलार्थी के हक हकियत को चुनौती दी गई है। वस्तुतः यह मामला दिवानी का है। चूंकि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में फैसला दिया जा चुका है। अतः निम्न न्यायालय का वाद Maintainable नहीं है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश 16.05.08 को निरस्त किया जाता है। अभिलेख निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2023.06.13 20:14:41 +05:30
Location: 192.168.2.175